ऑनलाइन
साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली–भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

प्रावधिक–पत्र
विज्ञापन की शर्तो के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
फोन नं. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 963 /01/चयन/2022 नवा रायपुर दिनांक 10/01/2022

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार–पत्र

निश्चेतना विशेषज्ञ/शिशुरोग विशेषज्ञ/स्त्रीरोग विशेषज्ञ/मेडिसीन विशेषज्ञ/अस्थिरोग विशेषज्ञ/रेडियोलॉजिस्ट/सर्जरी विशेषज्ञ/मनोरोग विशेषज्ञ/चर्मरोग विशेषज्ञ/क्लीनिकल पैथोलाजिस्ट/एपीडेमोलॉजिस्ट/क्लीनिकल बायोकेमिस्ट

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

महोदय/महोदया,

चिकित्सा विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित समय–सारणी के अनुरूप निर्धारित पाली **प्रथम पाली**–पूर्वान्ह 10.30 बजे से 01.30 बजे तक तथा **द्वितीय पाली**– अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देंवें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्र (02 प्रति में) **(दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।)** (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। **(अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा)** अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **चिकित्सा विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के पदों के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 08/2021/परीक्षा/दिनांक 23/10/2021 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 27.10.2021 **के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता– विज्ञापन की कंडिका (2) (iv) अनुसार होना अनिवार्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय–समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.4 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया ''जाति प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को ''गैर क्रीमीलेयर'' में आने के संबंध में ''आय प्रमाण पत्र'' प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी ''जाति प्रमाण पत्र'' (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक–एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.12 आपके द्वारा **चिकित्सा विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5. विशेष टीप :– उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

6.1 **साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन के निर्देश पैरा (6) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक–एक प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2021 से की जायेगी।

6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय **चिकित्सा विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के लिए किये गये ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है।

6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं एक–एक छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.1.2022

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Pediatrics Specialist			
25/01/2022	27/01/2022	210802000001	210802000021
		210802000002	210802000022
		210802000003	210802000023
		210802000004	210802000024
		210802000005	210802000025
		210802000006	210802000026
		210802000007	210802000027
		210802000008	210802000028
		210802000009	210802000029
		210802000010	210802000030
		210802000011	210802000031
		210802000012	210802000032
		210802000013	210802000033
		210802000014	210802000034
		210802000015	210802000035
		210802000016	210802000036
		210802000017	210802000037
		210802000018	210802000038
		210802000019	210802000039
		210802000020	210802000040
27/01/2022	28/01/2022	210802000041	210802000061
		210802000042	210802000062
		210802000043	210802000063
		210802000044	210802000064
		210802000045	210802000065
		210802000046	210802000066
		210802000047	210802000067
		210802000048	210802000068
		210802000049	210802000069
		210802000050	210802000070
		210802000051	210802000071
		210802000052	210802000072
		210802000053	210802000073
		210802000054	210802000074
		210802000055	210802000075
		210802000056	210802000076
		210802000057	210802000077
		210802000058	210802000078
		210802000059	210802000079
		210802000060	210802000080

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Gynecology Specialist			
25/01/2022	27/01/2022	210803000001	210803000021
		210803000002	210803000022
		210803000003	210803000023
		210803000004	210803000024
		210803000005	210803000025
		210803000006	210803000026
		210803000007	210803000027
		210803000008	210803000028
		210803000009	210803000029
		210803000010	210803000030
		210803000011	210803000031
		210803000012	210803000032
		210803000013	210803000033
		210803000014	210803000034
		210803000015	210803000035
		210803000016	210803000036
		210803000017	210803000037
		210803000018	210803000038
		210803000019	210803000039
		210803000020	210803000040
27/01/2022	28/01/2022	210803000041	
		210803000042	
		210803000043	
		210803000044	
		210803000045	
		210803000046	
		210803000047	
		210803000048	
		210803000049	
		210803000050	
		210803000051	
		210803000052	
		210803000053	
		210803000054	
		210803000055	
		210803000056	
		210803000057	
		210803000058	
		210803000059	
		210803000060	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Orthopedics Specialist			
25/01/2022	27/01/2022	210805000001	210805000013
		210805000002	210805000014
		210805000003	210805000015
		210805000004	210805000016
		210805000005	210805000017
		210805000006	210805000018
		210805000007	210805000019
		210805000008	210805000020
		210805000009	210805000021
		210805000010	210805000022
		210805000011	210805000023
		210805000012	
27/01/2022	28/01/2022	210805000024	210805000036
		210805000025	210805000037
		210805000026	210805000038
		210805000027	210805000039
		210805000028	210805000040
		210805000029	210805000041
		210805000030	210805000042
		210805000031	210805000043
		210805000032	210805000044
		210805000033	210805000045
		210805000034	210805000046
		210805000035	
Psychiatry Specialist			
27/01/2022	28/01/2022		210809000001
			210809000002
			210809000003
			210809000004
			210809000005
			210809000006
			210809000007
			210809000008
Radiology Specialist			
27/01/2022	28/01/2022		210806000001
			210806000002
			210806000003
			210806000004
			210806000005
			210806000006
			210806000007

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Surgery Specialist			
28/01/2022	29/01/2022	210808000001	210808000021
		210808000002	210808000022
		210808000003	210808000023
		210808000004	210808000024
		210808000005	210808000025
		210808000006	210808000026
		210808000007	210808000027
		210808000008	210808000028
		210808000009	210808000029
		210808000010	210808000030
		210808000011	210808000031
		210808000012	210808000032
		210808000013	210808000033
		210808000014	210808000034
		210808000015	210808000035
		210808000016	210808000036
		210808000017	
		210808000018	
		210808000019	
		210808000020	
Medicine Specialist			
28/01/2022	29/01/2022	210804000001	210804000029
		210804000002	210804000030
		210804000003	210804000031
		210804000004	210804000032
		210804000005	210804000033
		210804000006	210804000034
		210804000007	210804000035
		210804000008	210804000036
		210804000009	210804000037
		210804000010	210804000038

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
28/01/2022	29/01/2022	210804000011	210804000039
		210804000012	210804000040
		210804000013	210804000041
		210804000014	210804000042
		210804000015	210804000043
		210804000016	210804000044
		210804000017	210804000045
		210804000018	210804000046
		210804000019	210804000047
		210804000020	210804000048
		210804000021	210804000049
		210804000022	210804000050
		210804000023	210804000051
		210804000024	210804000052
		210804000025	
		210804000026	
		210804000027	
		210804000028	
Anesthesia Specialist			
28/01/2022	29/01/2022	210801000001	210801000015
		210801000002	210801000016
		210801000003	210801000017
		210801000004	210801000018
		210801000005	210801000019
		210801000006	210801000020
		210801000007	210801000021
		210801000008	210801000022
		210801000009	210801000023
		210801000010	210801000024
		210801000011	210801000025
		210801000012	210801000026
		210801000013	210801000027
		210801000014	210801000028

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Epidemiologist			
29/01/2022	31/01/2022	210811000001	
		210811000002	
		210811000003	
		210811000004	
		210811000005	
		210811000006	
		210811000007	
		210811000008	
		210811000009	
		210811000010	
		210811000011	
		210811000012	
		210811000013	
		210811000014	
		210811000015	
		210811000016	
		210811000017	
Dermatitis Specialist			
29/01/2022	31/01/2022	210807000001	
		210807000002	
		210807000003	
		210807000004	
		210807000005	
		210807000006	
		210807000007	
		210807000008	
		210807000009	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दस्तावेज सत्यापन / साक्षात्कार समय–सारिणी

चिकित्सा विशेषज्ञ–2021

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 10:30 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से)
Clinical Biochemist			
29/01/2022	31/01/2022	210812000001	
		210812000002	
		210812000003	
		210812000004	
		210812000005	
		210812000006	
		210812000007	
Clinical Pathologist (केवल दस्तावेज सत्यापन)			
29/01/2022	—	210810000001	210810000013
		210810000002	210810000014
		210810000003	210810000015
		210810000004	210810000016
		210810000005	210810000017
		210810000006	210810000018
		210810000007	210810000019
		210810000008	210810000020
		210810000009	210810000021
		210810000010	210810000022
		210810000011	210810000023
		210810000012	210810000024

टीप :– आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

10.1.2022

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर